



[2026:RJ-JD:14281]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2638/2026

Mohammed Wazid S/o Mohammed Salim, Aged About 33 Years,
R/o Plot No. 8, Jai Ambe Colony, Kamla Nehru Nagar, P.S. Dev
Nagar, Jodhpur At Present R/o House No. 34, Film City, Gali No.
2, Gangana Road, P.S. Boranada, Jodhpur. At Present Lodged at
Central Jail, Jodhpur.

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 847/2026

Afzal Khan Urf Tiger S/o Abdul Mannan, Aged About 20 Years,
R/o Near Zubeida Masjid, Nai Sadak Khaniya, P.S. Sadar Bazar
Jodhpur At Present R/o Iqbalgarh, Gangana Road, Chaukha P.S.
Rajiv Gandhi Nagar, Dist. Jodhpur West, Rajasthan (At Present
Lodged in Central Jail Jodhpur)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Gokulesh Bohra, Adv. with Mr. Gaurang Deora, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sameer Pareek, Addl. GA

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

27/03/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु
पृथक-पृथक जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा



संहिता, पुलिस थाना राजीव गांधी नगर, जोधपुर शहर पश्चिम में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 01/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 118(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किये गये हैं।

चूंकि उक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, अतः उक्त दोनों जमानत आवेदनों का निस्तारण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। आहतगण के शरीर पर आयी चोटें प्राणघातक नहीं हैं व समस्त चोटें साधारण प्रकृति की हैं। घटना की रिपोर्ट में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का नाम नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त मोहम्मद वाजिद से चाकू बरामद हुआ है, लेकिन उक्त चाकू से उसने कोई चोट नहीं पहुंचाई है। प्रार्थी/अभियुक्त अफजल खान उर्फ टाईगर से कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त मोहम्मद वाजिद दिनांक 11.02.2026 से व प्रार्थी/अभियुक्त अफजल खान दिनांक 02.01.2026 से अभिरक्षा में हैं, उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जावें।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।



वर्तमान प्रकरण में आहतगण के शरीर पर आयी चोटें साधारण प्रकृति की बतायी गयी हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, उनसे कोई बरामदगी शेष नहीं है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. मोहम्मद वाजिद पुत्र मोहम्मद सलीन 2. अफजल खान उर्फ टाईगर पुत्र अब्दुल मनान** की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र तथा पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J